ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बच का बुधवार को रियो दि जिनेरियो में स्वागत करते कार्यकर्ता।

बुलंद हौसले के साथ कोहली की टीम किंगस्टन पहुंची

किंगस्टन, 27 जुलाई (भाषा)। पहला टैस्ट मैच पारी के अंतर से जीतने के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय क्रिकेट टीम 30 जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे टैस्ट के लिए बुधवार को यहां पहुंच गई। पहले टैस्ट में एक पारी और 92 रन से जीत दर्ज करने के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं।

पहले टैस्ट की पहली पारी में 84 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपने प्लेस्टेशन पर व्यस्त दिखे। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह कोहली, भुवनेश्वर कुमार और रिद्धिमान साहा के साथ फीफा फुटबाल गेम का मजा ले रहे हैं।

मुख्य कोच अनिल कुंबले, कोहली और धवन ने करगिल दिवस के मौके पर भारतीय सैनिकों को नमन भी किया। कोहली ने कहा कि '60 दिन, आपरेशन विजय। मैं उस समय स्कूल में था। मुझे याद है कि हर परिवार कैसे सैनिकों के दर्द में सहभागी था। हमने उनके लिए दुआएं की और भारतीय होने पर गर्व महसूस किया। सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आप भारत के असली हीरो हो। जय हिंद।'

इस बीच कैरेबियाई टीम भी यहां पहुंच गई है। पिछले मैच में जबरदस्त हार का सामना कर चुकी कैरेबियाई टीम इस बार कुछ अलग करने की सोच रही होगी। वेस्ट इंडीज के कोच और कप्तान पहले भी कह चुके हैं कि उस पूरे मैच में कहीं भी हम भारत के बराबर नहीं थे। पहले टैस्ट में कमाल करने वाले कोहली से इस मैच में भी कुछ अलग करने की उम्मीद है। साथ ही सात विकेट चटका कर मैन आफ द मैच बने अश्विन पर भी निगाहें बनी रहेंगी। दूसरे टैस्ट मैच को जीतने के लिए कैरेबियाई टीम को काफी मेहनत करने की जरूरत होगी।

भारत का बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी हर खेमा उत्साह से भरा है। भारतीय टीम पिछली जीत के साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर पहले ही वेस्ट इंडीज से आगे है। साथ ही कोहली भी चाहेंगे कि मैच में भारी अंतर से जीत दर्ज की जा सके ताकि आइसीसी रैंकिग में शीर्ष पर काबिज होने का मौका नहीं गवाया जाए।

अब दिल्ली में होगी एसजीएम

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)। बीसीसीआइ के शीर्ष पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त लोढ़ा समिति को अभी शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सुधारों को लागू करने के संबंध में अपनी निर्धारित बैठक को लेकर औपचारिक तौर पर सूचित नहीं किया है। वहीं विशेष आम सभा जो पांच अगस्त को मुंबई में होनी थी अब दिल्ली में होगी क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है जिसका मतलब है कि बीसीसीआइ अध्यक्ष और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला को राजधानी में रहना होगा। बुधवार की शाम तक पैनल के सदस्यों को नौ अगस्त को होने वाली बैठक के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

बीसीसीआइ के चयनकर्ता गगन खोड़ा को छोड़ना पड़ सकता है पद

नई दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा)। बीसीसीआइ में सुधारवादी कदमों को लेकर न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के संयोजन पर पड़ना लगभग तय है। इसके तहत चयनकर्ता गगन खोड़ा को अपना पद समय से पहले छोड़ना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चयन समिति में बड़ा फेरबदल तय है क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष संदीप पाटिल के अलावा विक्रम राठौड़ और सबा करीम का चार साल का कार्यकाल सितंबर में पूरा हो रहा है और नई चयन समिति के तीन सदस्यीय होने की उम्मीद है। फिलहाल चयन समिति के दो अन्य सदस्य मध्य क्षेत्र के गगन खोड़ा और दक्षिण क्षेत्र के एमएसके प्रसाद हैं। इन दोनों को अक्तूबर 2015 में नियुक्त किया गया था और पहले के नियमों के अनुसार इन्हें 2019 तक पद पर बने रहना था। लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार, 'टैस्ट मैचों में सीनियर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व खिलाड़ी ही इस समिति में नियुक्ति के पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने कम से कम पांच साल पहले संन्यास ले लिया हो। समिति के सदस्यों में सबसे ज्यादा टैस्ट खेलने वाले को चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा।'

खोड़ा इस सिफारिश पर खरे नहीं उतरते क्योंकि उन्होंने दो एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 1998-99 में खेले थे जबकि उन्होंने कोई टैस्ट नहीं खेला है। प्रसाद की स्थिति थोड़ी बेहतर है और उन्होंने छह टैस्ट और 17 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल के एक करीबी सूत्र ने कहा कि निर्देशों के अनुसार खोड़ा को राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में अंततः अपना पद छोड़ना ही होगा लेकिन बीसीसीआइ संभवतः उन्हें छह महीने के लिए बनाए रख सकता है क्योंकि बोर्ड को सिफारिशें लागू करने के लिए इतना समय मिला है। सूत्र ने कहा कि संविधान में सुझाए गए सुधारवादी कदमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप सुधार किया जाएगा, इसके लिए बीसीसीआइ छह महीने का समय ले सकता है। इसलिए बीसीसीआइ सवालों के घेरे में आए चयनकर्ता (खोड़ा को) को उस समय तक रखने का प्रयास कर सकता है लेकिन अंततः उन्हें नियम का पालन करना होगा।

- लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार, 'टैस्ट मैचों में सीनियर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व खिलाड़ी ही इस समिति में नियुक्ति के पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने कम से कम पांच साल पहले संन्यास ले लिया हो। समिति के सदस्यों में सबसे ज्यादा टैस्ट खेलने वाले को चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा।'

इस बीच अनुभवी राजनेता शरद पवार ने कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई क्रिकेट संघ से हटने का फैसला किया है। सूत्र ने कहा कि 'अगर वह (खोड़ा) स्वेच्छा से पद छोड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।' बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता खोड़ा अपने पद पर बने रह सकते हैं क्योंकि इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने काम के लिए भारी भरकम वेतन भी मिलेगा।

पता चला है कि खोड़ा और प्रसाद दोनों भारत 'ए' टीम के साथ आस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में हैं क्योंकि बीसीसीआइ ने चयनकर्ताओं को विदेशी दौरों पर भेजने की नीति दोबारा शुरू की है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में पहले ही कई बीसीसीआइ के अधिकारी आ चुके हैं।

विजय को रियो टीम से चार पदक की उम्मीद

कोलकाता, 27 जुलाई (भाषा)। ओलंपिक रजत पदक विजेता निशानेबाज विजय कुमार भले ही रियो जाने वाली टीम में जगह नहीं बना पाए लेकिन वह अपने साथियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार निशानेबाज कम से कम चार पदक जीतने में सफल रहेंगे।

विजय ने कहा कि 'रियो के लिए हमारे पास बेहतरीन टीम है। हर कोई एक दूसरे से बेहतर है। मुझे पूरा विश्वास है कि निशानेबाजी में हमें कम से कम चार पदक मिलेंगे।' यह पिस्टल निशानेबाज मई में दिल्ली में एशियाई ओलंपिक निशानेबाजी क्वालीफायर्स में रियो का टिकट हासिल नहीं कर पाने के कारण निराश था लेकिन वह जल्द ही इससे उबर गए।

विजय ने कहा कि जो गुजर गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता है इसलिए बीते समय के बारे में सोचने के बजाए आगे के बारे में विचार करना बेहतर है। अभी मैं निशानेबाजी प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं भारतीयों की हौसलाअफजाई करूंगा।

उन्होंने कहा कि टीम के सभी सदस्य अनुभवी हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं इसलिए इस बार कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं रियो में हमेशा अपने देश का ध्वज लहराते हुए देखना चाहता हूं।

रियो में भारत के 12 निशानेबाज भाग ले रहे हैं जो लंदन से एक अधिक है। विजय ने कहा कि इससे साबित होता है कि वे लंदन से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 'हम शोर शराबे में नहीं रहते। हम चुपचाप अपना काम करना पसंद करते हैं। हम चर्चा में रहने या ऐसी चीजों की परवाह नहीं करते। हमारा काम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होता है। और ओलंपिक सभी प्रतियोगिताओं की जननी है। यह चार साल में एक बार होता है।

रेसिंग में भाग लेंगी महिला बाइकर्स

कोयंबटूर, 27 जुलाई (भाषा)। भारत में महिला बाइकर्स की सबसे बड़ी समूह 'बाइकरनी' की 20 महिला बाइकर यहां 31 जुलाई को होने वाली जेके टायर राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप के पहले दौर में हिस्सा लेंगी। बाइकर्स बंगलुरु से अपनी बाइक पर यहां पहुंचेगी।

RUCHIRA PAPERS

रुचिरा पेपर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: त्रिलोकपुर रोड, कला अंब, जिला सिरमौर (हि.प्र.)-173030
CIN:L21012HP1980PLC004336
www.ruchirapapers.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक स्थगित कर दी गई है तथा अब 3 अगस्त, 2016 की जगह 5 अगस्त, 2016 को 12.30 बजे अप. में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाईट: **www.ruchirapapers.com** तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट्स (**www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com**) पर भी उपलब्ध है।

रुचिरा पेपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
कला-अंब **विश्व सेठी**
27.07.2016 कंपनी सचिव

State Bank of India
Stressed Assets Management Branch
Nagaland House, 8th Floor, 11 & 13, Shakespeare Sarani Kolkata – 700 071

The Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (AAIFR), 10th Floor, Jeevan Prakash Building, 25, Kasturba Gandhi Marg, Central Delhi, New Delhi has vide its order dtd. 13.7.2016 in the matter of Modern Malleables Ltd. Case No. 125/2000 Bench-II directed the Operating Agency viz. State Bank of India (SBI) to circulate the Draft scheme of rehabilitation by amalgamation and publish the same in Kolkata and National based newspapers for inviting objections/suggestions, if any, in terms of section 18(3) and 19(2) of SICA 1985 to be received within 60 days from the date of publication. The O.A. may thereafter file a report before 6th October, 2016 before the AAIFR. A draft scheme of Amalgamation of Modern Malleables Limited with Registered office at 53B Mirza Ghalib Street, Kolkata 700016 with Eri-Tech Ltd. with Registered office at 9 Transport Depot Road Kolkata 700 088 is framed under provisions of SICA, 1985. Upon the Scheme being sanctioned by BIFR/AAIFR under Section 18 of SICA and coming into effect, the Transferor Company shall stand amalgamated with the Transferee Company with effect from the Appointed Date and stand transferred to and vested in the Transferee Company, as a going concern, pursuant to the provisions contained in Section 18(6A) and other applicable provisions of SICA, without any further act, deed, instrument or things so as become. The Transferee Company under the scheme shall allot every Equity Shareholder of the Transferor Company holding fully paid-up Shares and whose names appear in the register of members of the Transferor Company on the Record Date, 1 Equity Share of Re. 1/- each in the Transferee Company, credited as fully paid-up with all rights attached thereto. Since the cost of the scheme is fully tied up no provisions for contingency has been considered necessary. Any objections/ suggestions, be sent to The DGM, SBI at address above. Copy of the scheme is available for inspection at SBI above during the working hours. Persons having suggestions/objections would send the same in quadruplicate to the above branch of SBI. Those desirous of being heard in person should also send intimation to the Board. The AAIFR will hear objections/suggestions at the hearing on Thursday, the 6th October, 2016 at 11 a.m. in its office at 10th Floor, Jeevan Prakash Building, 25, Kasturba Gandhi Marg, Central Delhi, New Delhi.

Date : 25.07.2016
Place : Kolkata **Dy. General Manager**

समक्ष माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली
(मूल क्षेत्राधिकार)
कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में
कंपनी याचिका सं. 31/2014
के मामले में:-
मगन लाल अग्रवाल .... याचिकाकर्ता
विरुद्ध
महालक्ष्मी लैंड एंड फाईनेंस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड .... प्रतिवादी
याचिका का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त नामित प्रतिवादी कंपनी की परिसमापन याचिका याचिकाकर्ता के द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत की गई थी और वह कि उक्त याचिका को 09.08.2016 को सुबह 10.30 बजे सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया।

इस याचिका पर आदेश करने के समर्थन और विरोध करने का इच्छुक कोई भी लेनदार, अंशदायी और अन्य व्यक्ति, उसे या उसके नाम सहित या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित उसका अभिप्राय सूचना याचिका पर भेजना चाहिए, जिससे कि वह याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता तक याचिका पर सुनवाई के लिए नियत तिथि 09.08.2016 से 5 दिन पहले पहुंच जाए उसके बाद नहीं और सुनवाई में उस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत तौर पर या उसके अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत हो। अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रति उसके लिए निर्धारित शुल्क की अदायगी पर लेनदार या अंशदायी को उपलब्ध करायी जाएगी।

याचिका के विरोध के उद्देश्य से किया जाने वाला कोई भी शपथपत्र अदालत में प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता या उसके अधिवक्ता को, सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम 5 दिनों पहले उपलब्ध करानी होगी।

हस्ता./-
श्री पी. नागेश
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
ए-366, सेक्टर-46
स्थान: नई दिल्ली नोएडा-201301
दिनांक: 26.07.2016 फोन 22790195

मदरसन सूमि सिस्टम्स लिमिटेड
CIN-L34300DL1986PLC026431
पंजी. कार्या.: 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-I
मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट,
मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110044

सूचना

सूचीयन विनियमनों के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **बुधवार, 10 अगस्त, 2016** को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

मदरसन सूमि सिस्टम्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
जी.एन. गॉबा
स्थानः नई दिल्ली **सीएफओ**
तिथिः 27.07.2016 **एवं कम्पनी सचिव**

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED
Regd. Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019.
CIN : L34300DL1991PLC044365, **Website:** www.uniofficeautomation.com;
E-mail: investoroa@hcl.com; **Phone No :** 0120-2526518

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 10th August, 2016 to consider the Un-audited Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2016.
This intimation is also available on the website of the Company at www.uniofficeautomation.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com.
Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) would commence from 6.00 p.m on 3rd August, 2016 and end 48 hours after the results are made public on 10th August, 2016.

For Universal Office Automation Ltd.
Sd/-
Place : New Delhi **Preeti Saxena**
Date : 27th July, 2016 **Company Secretary**

बैंक ऑफ बड़ौदा (*Bank of Baroda*)
बैंक ऑफ बड़ौदा, नेहरू ग्राउंड, फरीदाबाद, शाखा, ए-5,
नेहरू ग्राउंड, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत
अचल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.10.2015 जारी कर ऋणधारक **मै. गोल्ड फिल्ड शिक्षा संस्थान (ऋणधारक), सेक्टर- 21-ए, फरीदाबाद, श्री राहुल वर्मा, पुत्र श्री रामेश्वर वर्मा, श्रीमती शशि अडलखा, श्री कृष्ण लाल अडलखा, श्री शाहिल अडलखा (गारंटर्स), फरीदाबाद को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,28,82,770/- (रुपए चार करोड़ अट्ठाइस लाख बयासी हजार सात सौ सत्तर मात्र)** 16.10.2015 को तथा उस पर आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य लागत आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक **25 जुलाई, 2016** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 16.10.2015 को **रु. 4,28,82,770/- (रुपए चार करोड़ अट्ठाइस लाख बयासी हजार सात सौ सत्तर मात्र)** तथा उस पर आगे के ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, नेहरू मैदान, फरीदाबाद, शाखा, हरियाणा** के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

उपरोक्त संपत्ति का भाग तथा हिस्सा:-
श्री राहुल वर्मा, पुत्र रामेश्वर वर्मा तथा श्रीमती शशि अडलखा, पत्नी श्री कृष्ण लाल अडलखा के नाम में एच.नं. 472, सेक्टर 21 बी, फरीदाबाद में स्थित गिरवी रखी गई संपत्ति का इक्विटेबल मॉर्टगेज।
चौहद्दीः उत्तर : एच.नं. 473 दक्षिण : एच.नं. 471
पूर्व : अन्य संपत्ति पश्चिम : सड़क

प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 28.07.2016 बैंक ऑफ बड़ौदा
स्थान: फरीदाबाद ए-5, नेहरू ग्राउंड, फरीदाबाद

SRM Energy

SRM ENERGY LIMITED
Regd. Office: Unit No. 206, 2nd Floor, Suneja Tower-2, Disctrict Centre, Janakpuri, New Delhi-110058
CIN: L17100DL1985PLC303047
Phone No.: +91-011-45067736
Email: cs@srmenergy.in
Website: www.srmenergy.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 04, 2016 at 12:30 p.m. at Unit No. 206, 2nd Floor, Suneja Tower-II, Janakpuri District Center, New Delhi- 110058to inter-alia consider the followings:

- The un-audited Financial Results for the first quarter ended on 30th June, 2016.
- To Decide the date of Book Closure
- To approve notice of 29thAnnual General Meeting.
- To transact any other business which the Board may deem fit

This information is also available on the website of the company viz. www.srmenergy.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com).

By Order of the Board
For **SRM Energy Limited**
Sd/-
Place: Delhi **(Kanika Arora)**
Date: July 27, 2016 **Company Secretary**

FORTIS HEALTHCARE LIMITED
Corporate Identity Number:
L85110DL1996PLC076704
Regd. Office: Escorts Heart Institute and Research Centre, Okhla Road, New Delhi – 110 025
Tel : 011 2682 5000; Fax : 011 4162 8435
Website: www.fortishealthcare.com
Email: secretarial@fortishealthcare.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, August 4, 2016, to inter alia, consider and approve Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2016. The same is also available on the website of the Company- www.fortishealthcare.com and that of NSE Limited: www.nseindia.com and BSE Limited: www.bseindia.com.

For Fortis Healthcare Limited
Sd/-
Dated : July 28, 2016 **Rahul Ranjan**
Place : Gurgaon **Company Secretary**

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
State Bank of Hyderabad

चांदनी चौक शाखा, 657-671
संत भवन, चांदनी चौक
दिल्ली-110006

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

सेवा में,
मै. गुप्ता ट्रेडिंग कं. (ऋणधारक)
द्वारा उसके प्रॉप्राइटर श्री हीरा लाल गुप्ता
1048/2, कूचा नटवा,
चांदनी चौक, दिल्ली-110006

सेवा में,
श्रीमती कृष्णा गुप्ता (गारन्टर)
# 7742, II रा तल, गली नं. 2
ईस्ट गोरख पार्क, शाहदरा,
नई दिल्ली-110032

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, चांदनी चौक शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 27.05.2016 जारी कर ऋणधारक मै. गुप्ता ट्रेडिंग क. द्वारा उसके प्रॉप्राइटर श्री हीरा लाल गुप्ता तथा गारन्टर श्रीमती कृष्णा गुप्ता को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 21,03,301.57 (रुपए इक्कीस लाख तीन हजार तीन सौ एक तथा पैसे सत्तावन मात्र) तथा 01.05.2016 से उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 28 जुलाई, 2016 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 16,86,075.57 (रुपए सोलह लाख छियासी हजार पचहत्तर तथा पैसे सत्तावन मात्र) तथा उस पर ब्याज/अन्य चार्जेज के लिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, चांदनी चौक शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण:
भूतल पर स्थित संपत्ति सं. 1048/2, बिना छत के अधिकार के जो संपत्ति सं. 1048 (नया), वार्ड नं. II का भाग है, कूचा नटवा, चांदनी चौक, दिल्ली-110006
चौहद्दी: उत्तरः अन्य संपत्ति सं. 1047
दक्षिणः कॉमन पैसेज
पूर्वः कॉमन मॉल तथा सीढ़ियां
पश्चिमः कॉमन वाल तथा अन्य शॉप प्रा. नं. 1048/1
स्थान: दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 28.07.2016 **स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद**

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड,
जयपुर-302006 (राज.) फोन : 0141-2377007, फैक्स : 0141-2378830
ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाईट : www.vinayakpolycon.com
CIN : L25209RJ2009PLC030620

7वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने की सूचना तथा ई-वोटिंग जानकारी

क) एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 7वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 20 अगस्त, 2016 को 4 बजे अपरान्ह में ''परमानन्द हॉल'' में अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।
2. एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2015-16 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी'ज कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत है। वह कंपनी की वेबसाईट www.vinayakpolycon.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो वे उसे कंपनी की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अथवा investor@vinayakpolycon.com, पर कंपनी को लिखित अनुरोध कर उसे प्राप्त कर सकते है। एजीएम की सूचना वर्ष 2015-16 का वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। कंपनी ने मंगलवार, 26 जुलाई, 2016 को उसका प्रेषण पूरा कर लिया है। एजीएम निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस को व्यावसायिक अवधि के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

ख) रिमोट ई-वोटिंग

13 अगस्त, 2016 की कट ऑफ तिथि को भौतिक या डिमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्य एजीएम के अन्यत्र स्थल से नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडील) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1) एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
2) रिमोट ई-वोटिंग 17 अगस्त, 2016 को 9 बजे पूर्वान्ह में शुरू होगी तथा 19 अगस्त, 2016 को 5.00 बजे सायं में बद होगी।
3) मतदान के लिए कट ऑफ तिथि 13 अगस्त, 2016 है।
4) यदि कोई शेयर एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करते है तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 13 अगस्त, 2016 को शेयर धारित करते है, वे e-voting@nsdl.co.in पर या आरटीए, एमएएस सर्विसेस लिमिटेड के पास अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है तो मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
5) सदस्यगण कृपया ध्यान रखें कि:
   (क) मतदान के लिए उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग पद्धति एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   (ख) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
   (ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे, तथा
   (घ) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ मत पत्र द्वारा एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
6) ई-वोटिंग सूचना कंपनी की वेबसाईट www.vinayakpolycon.com तथा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
7) किसी प्रकार की पूछताछ के लिए आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए **Frequently Asked Questions (FAQ's)** तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें। सदस्यगण investor@vinayakpolycon.com पर अथवा 312, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, 29 स्टेशन रोड, जयपुर-302006 पर रश्मि अग्रवाल, अनुपालन अधिकारी को लिखें या 91-141-2377007 पर कॉल करें।

ग) **पुस्तक बंद होना:** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें रविवार, 14 अगस्त, 2016 से शनिवार, 20 अगस्त 2016 (दोनो दिवस सहित) तक बंद करेंगे।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
स्थान : जयपुर हस्ता/- भंवर लाल वैद
तिथि : 26.07.2016 अध्यक्ष

...जब एक ही पारी में छह खिलाड़ियों ने जड़ दिए थे शतक

इंदौर, 27 जुलाई (भाषा)। वर्ष 1945-46 के रणजी सत्र के उस सेमीफाइनल मैच को याद करते हुए रामेश्वर प्रताप सिंह की आंखें आज भी खुशी से चमक उठती हैं। 91 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर होलकर टीम के उन छह खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने यहां यशवंत क्लब मैदान पर मैसूर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में एक ही पारी के दौरान धड़ाधड़ सैकड़े जड़कर इतिहास रच दिया था।

यादों के गलियारे में कदम रखते हुए सिंह ने बताया कि 'जब मैंने 80 रन बना लिए, तो होलकर राजवंश के तत्कालीन महाराज और होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष यशवंतराव होलकर द्वितीय ने हमारे कप्तान सीके नायडू से कहा कि अब टीम को पारी घोषित कर देनी चाहिए क्योंकि पर्याप्त स्कोर खड़ा कर लिया गया है। इस पर नायडू ने उनसे कहा कि मैं (सिंह) शतक से केवल 20 रन दूर हूं और जैसे ही 100 रन पूरे करता हूं, पारी घोषित कर दी जाएगी।' और ऐसा ही हुआ था। सिंह 100 रन के निजी स्कोर पर जैसे ही केपी उभयाकर की गेंद पर बोल्ड हुए, होलकर टीम ने अपनी पारी घोषित कर दी थी।

उन्होंने कहा कि 'जब मैंने आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मैसूर के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शतक बनाया, तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। वह होलकर टीम का स्वर्णिम दौर था।' उस पारी में सिंह से पहले होलकर टीम के केवी भंडारकर (142), सीटी सरवटे (101), एमएम जगदाले (164), सीके नायडू (101) और बीबी निंबालकर (172) शतक जड़कर आउट हो चुके थे। सिंह के अलावा अन्य पांच क्रिकेटर अब इस दुनिया में नहीं हैं।

- उस मैच के गवाह बने रामेश्वर प्रताप सिंह ने किया उस पल को याद, मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन करेगी सम्मानित

क्रिकेट में सिंह के उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें अपने 'सीटी सरवटे लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' के लिए चुना है। यह पुरस्कार उन्हें यहां एक अगस्त को आयोजित समारोह में दिया जाएगा जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बतौर मुख्य आतिथि हिस्सा लेंगे। रणजी सेमीफाइनल की जिस पारी में सिंह समेत छह खिलाड़ियों ने शतक जमाए, उस पारी में होलकर टीम ने 912 रनों का रेकॉर्ड स्कोर खड़ा किया था। इस मैच में होलकर टीम ने एक पारी और 213 रन से मैसूर के खिलाफ जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया था।